किशोरसिंह वगैरह बनाम मोहनलाल वगैरह
मुकदमा नम्बर 094/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

प्रार्थीगणः–

1. किशोरसिंह शिशोदिया पुत्र थानसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी हेमपुरा तहसील नावां जरिये संरक्षक सरपरस्त माता विजयकंवर पत्नि थानसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी हेमपुरा तहसील नावां।
2. युवराजसिंह शिशोदिया पुत्र थानसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी हेमपुरा तहसील नावां जरिये संरक्षक सरपरस्त माता विजयकंवर पत्नि थानसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी हेमपुरा तहसील नावां।

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. मोहनलाल पुत्र सुण्डाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम आवास तहसील नावां।
2. राजुराम पुत्र सुण्डाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम आवास तहसील नावां।
3. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां (भूमिधारी)।

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251ए उपधारा 2 आर.टी.एक्ट 1955
उपस्थित :– श्री आनन्दीलाल कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी
श्री मोहन सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

मुकदमा नम्बरः– 094/2023 निर्णय दिनांक : 19.10.2023

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम आबास तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 342 रकबा 1.21 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी शुदा भूमि स्थित चली आ रही है। उक्त प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में आने जाने के लिए केवल मात्र अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 की भूमि खसरा नम्बर 769/339 के पास स्थित कटाणी रास्ता ही नजदीक है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण को केवल मात्र खसरा नम्बर 769/339 की भूमि में से 32 मीटर लम्बाई व 6 मीटर चौड़ाई अर्थात् खसरा नम्बर 769/339 में से ट्रेस नक्शे के माफिक उत्तरी माठ से लगती हुई पूर्व से पश्चिम की प्रस्तावित रास्ते की भूमि जिसकी चौडाई 6 मीटर है तथा लम्बाई 32 मीटर है अर्थात उक्त भूमि का कुल क्षेत्रफल 192 वर्गमीटर है। रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि का प्रार्थना पत्र में नजरी नक्शा पेश किया। प्रार्थीगण के पास उनकी भूमि में जाने के लिए आज दिन किसी प्रकार का रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने में काफी परेशानी उठानी पडती है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 342 में आने जाने के लिए निकटम रास्ता खसरा नम्बर 769/339 में से उत्तरी माठ के सहारे रास्ता प्राप्त करना संभव है जो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 की खातेदारी की है उक्त खसरे के उत्तरी दिशा में कटाणी रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:07:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

लगा हुआ है। प्रार्थीगण को रास्ते के लिए 32 मीटर लम्बाई व 6 मीटर चौड़ाई कुल क्षेत्रफल 192 वर्गमीटर रास्ता दिलवाने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं भू.अ. निरीक्षक से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। अप्रार्थी संख्या 2, 3 के तामील शुदा नोटिस प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहन सिंह ने इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम आबास के खसरा नम्बर 342 में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण 1 व 2 की भूमि खसरा नम्बर 769/339 में से उत्तरी माठ के सहारे–सहारे रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 से पूछकर 34 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई कुल क्षेत्रफल 170 वर्गमीटर रास्ते की भूमि प्रतिफल रूपये 75000/– रोकडी प्राप्त कर लिये है। प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 769/339 में से रास्ता दिया जाता है, तो अप्रार्थी संख्या 1 को कोई उज्र ऐतराज नहीं होकर पूर्ण सहमति है। भू.अ. निरीक्षक नावां ने मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 223 किस्म गै.मु. सडक से खसरा नम्बर 345 रकबा 0.11 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता जो कि खसरा नम्बर 769/339 की उत्तरी सीमा तक जाता है। मौके पर चालू है तथा जमाबंदी अनुसार उक्त रास्ता खसरा नम्बर 345 खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 769/339 में से खसरा नम्बर 342 में आने जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता लाल डॉटेड लाईन से नजरी नक्शे में बिन्दु ए से बी तक दर्शाया है जिसकी लम्बाई 34 मीटर व प्रस्तावित चौड़ाई 5 मीटर है। प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षैत्रफल 170 वर्गमीटर है। उक्त प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू नहीं है तथा प्रस्तावित रास्ते में बाजरा की फसल खड़ी है।

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम आबास तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 342 रकबा 1.21 हैक्टर भूमि में आवागमन करने हेतु राजस्व ग्राम आबास के खसरा नम्बर 769/339 में से 32 मीटर लम्बाई व 6 मीटर चौड़ाई कुल क्षेत्रफल 192 वर्गमीटर रास्ता चाहते हैं। अप्रार्थी संख्या 1 मोहनलाल ने अपने इकबाली जवाब में राजस्व ग्राम आबास के खसरा नम्बर 342 में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण 1 व 2 की भूमि खसरा नम्बर 769/339 में से उत्तरी माठ के सहारे–सहारे रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 से पूछकर 34 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई कुल क्षेत्रफल 170 वर्गमीटर रास्ते की भूमि प्रतिफल रूपये 75000/– रोकडी प्राप्त कर लिये है। भू.अ. निरीक्षक नावां की मौका रिपोर्ट में भी खसरा नम्बर 769/339 में से खसरा नम्बर 342 में आने जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट में प्रस्तुत नजरी नक्शे में लाल डॉटेड लाईन से दर्शित बिन्दु ए से बी की लम्बाई 34 मीटर व प्रस्तावित चौड़ाई 5 मीटर है तथा प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षैत्रफल 170 वर्गमीटर है। इस प्रकार राजस्व ग्राम आबास तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 342 रकबा 1.21 हैक्टर भूमि में आवागमन करने हेतु राजस्व ग्राम भगवानपुरा के खसरा नम्बर 769/339 में से 34 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई कुल क्षैत्रफल 170 वर्गमीटर का रास्ता दिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 16:07:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

ली है इसलिए उक्त रास्ते के एवज में किसी प्रकार प्रतिफल दिया जाना उचित नहीं है तथा उक्त रास्ते की भूमि को केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 1 के हक हिस्से की भूमि से कम किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम आवास तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 342 रकबा 1.21 हैक्टर भूमि में आवागमन करने हेतु राजस्व ग्राम आबास के खसरा नम्बर 769/339 रकबा 1.1050 हैक्टर भूमि में से उत्तरी सींव के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम 34 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई कुल क्षैत्रफल 170 वर्गमीटर अर्थात 0.0170 हैक्टर भूमि का राजकीय कटाणी रास्ता घोषित किया जाता है। उक्त रास्ते की 0.0170 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 मोहनलाल के हक हिस्से से ही कम की जावें तथ अप्रार्थी संख्या 2 राजुराम की खातेदारी यथावत रखी जावें। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता अमलदरामद व नक्शे में तरमीम करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते है। मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। तहसीलदार नावां को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)
उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:07:37 IST
Reason: SelfAttested